<u>कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, (म.प्र.) भोपाल</u>

क्र. **5895** /नातौ./अ–1(1)/07 भोपाल, दिनांक :**19.12.2007**

प्रति,

समस्त उप/सहायक नियंत्रक,
समस्त निरीक्षक,
नाप–तौल
मध्य प्रदेश

विषय :– नाप–तौल उपकरणों के उपयोगकर्ताओं का पंजीयन।
संदर्भ :– राज्य शासन का ज्ञा0क्र0 13–39/07/2/29 दिनांक 12–12–2007

——::–::——

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करें। जो पत्र के साथ संलग्न है। शासन के निर्देषानुसार नाप–तौल उपकरणों के उपयोगकर्ताओं का पंजीयन कार्य दिनांक 01–01–2008 से अनिवार्यतः प्रांरभ किया जावे, इस कार्य हेतु पूर्व से प्रचलित आवेदन–पत्र/पंजीयन का प्रमाण–पत्र/पंजीयन की पंजीयों का उपयोग किया जावे, उक्त पंजीयन कार्य हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। पंजीयन न करवाने वालों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावे।

अतः निर्देषित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

नियंत्रक
नाप–तौल म0प्र0 भोपाल

पृ क्र. **5896** /नातौ./अ–1(1)/07 भोपाल, दिनांक :**19.12.2007**

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 13–39/07/2/29 दिनांक 12–12–2007 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. संयुक्त नियंत्रक/दाष. अधिकारी (मु0) की ओर सूचनार्थ।
3. अधीक्षक/स्टेनो/समस्त शाखाओं (मु0) की ओर सूचनार्थ।

नियंत्रक
नाप–तौल म0प्र0 भोपाल

''अनुसूची 1

खनियम 10(1) देखिये,

प्रारूप क– 1

उपयोक्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन

स्थान :..............................

तारीख :............................

सेवा में,

महोदय्

मैं / हम बांट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम 1985 की धारा 16,17 और 18 औरा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अपेक्षानुसार अपना नाम बांट और माप क उपयोक्ता रजिस्टर में रजिस्टर्ड कराना चाहता हूॅं / चाहते है .

1. व्यक्ति / क्म्पनी फर्म का नाम ....

.

2. पूरा पता ....

3. शाखाएं यदि कोई है, उनके पूरे पते और ....
रजिस्ट्रीकरण संख्याक सहित ....

.

4. स्वत्वधारी(स्वत्वधारियों) और / या भागीदारों...

.

और लिमिटेड कम्पनी की दषा में प्रबंध निदेषक / ....
(निदेषकों) का / के नाम और पता / पते ....

5. किये जा रहे कारोबार की प्रकृति...

6. प्रयुक्त बांटो, मापों, तौल और माप उपकरणों...
के ब्यौरे (अभिदान मूल्य / किस्में, मात्रा)...

....

हस्ताक्षर,

नियम 10(2) देखिये,

बांटों और मापों क`उपयोक्ताओं के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

चार प्रतिया में तैयार किया जाए

प्रारूप क– 3

मध्यप्रदेष सरकार

विधिक माप–विज्ञान नियंत्रक का कार्यालय

बही सं.

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक संख्या...तारीख.................................
....

बांट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

मैं एतद्द्वारा प्रमाणि करता हॅं कि नीचे दिये गये पते पर निम्नलिखित व्यक्ति / कम्पनी / फर्म को बांट और माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 की धारा 17 के अधीन बांटो और मापों के उपयोक्ता के रूप में रजिस्टर कर लिया गया है .

1. व्यक्ति / कम्पनी / फर्म का नाम और पूरा पता..
2. शाखाएं यदि कोई है, उनके पूरे पते और ....
   रजिस्ट्रीकरण संख्यांक सहित ....
3. किये जा रहे कारोबार / उत्पादित वस्तुएं या ....
   माल की (केवल विनिर्माता कम्पनियों के लिये) प्रकृति, ...
4. प्रयुक्त बांटों, मापों, तौल और माप उपकरणों के ....
   ब्यौरे (अभिदान मूल्य / किस्म, मात्रा) ....
5. नयो रजिस्ट्रीकरण / नवीनीकरण ....
6. नवीनीकरण की अगली तारीख ....

....

व्यक्ति / प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :—यदि क्रियाकलापों को निलंबित करने वांछा है तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र रद्द किये जाने के लिये इस कार्यालय को अभ्यर्पित किया जाए .

उपयोक्ताओं के लिये रजिस्ट्रीकण के लिये शर्तें

1. वह व्यक्ति जिसके पक्ष में रजिस्ट्रीकण का यह प्रमाण—पत्र जारी किया गया है :—

   (क)अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त नियमों के सभी सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करेगा ;

   (ख)रजिस्ट्रीकण के इस प्रमाण—पत्र को उस परिसर में जिससे वह संबंधित है किसी सहजदृष्य स्थान में प्रदर्षित करेगा ;

   (ग)किन्हीं ऐसे साधारण या विषेष निर्देषों का पालन करेगा , जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा समय—समय पर दिए जाए .

2. रजिस्ट्रीकण का वह प्रमाण—पत्र जारी किये जाने की तारीख से 5 वर्ष के लिये विधिमान्य होगा यह प्रमाण—पत्र कालम (5) में दर्षित नवीनीकरण की तारीख से पूर्व विहित फीस से संदाय किये जाने पर नवीकृत किया जाना चाहिये .
3. रजिस्ट्रीकण का यह प्रमाण—पत्र नवीकरण के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए .
4. पते में परिवर्तन होने पर उसकी सूचना, जारी करने वाले प्राधिकारी को तत्काल दी जानी चाहिए और वह परिवर्तन रजिस्ट्रीकण के इस प्रमाण—पत्र में दर्ज किया जाना चाहिए .

अनुसूची 3

नियम 10(3) देखिये,

मध्यप्रदेष शासन विधिक माप–विज्ञान नियंत्रक का कार्यालय मध्यप्रदेष

बांटों और मापों क उपयोक्ताओं के रजिस्ट्रीकरण

ग्प्रम...तालुका..

जिला..

स.क्र.	बाटों और मापों के रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता का नाम और पता	शाखाए यदि कोई है पते सहित	किए जा रहे कारबार की प्रकृति
1	2	3	4

प्रयुक्त बांट और माप	रजिस्ट्रीकरण संख्याक	तारीख		टिप्पणियां
		रजिस्ट्रीकरण	नवीकरण	
5	6	7	8	9